

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद— मैनपुरी एवं आगरा, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022-23/9472-2

दिनांक : 10.3.2023

विषय : राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा जनपद मैनपुरी एवं आगरा के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद आगरा की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 20 से 25 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। भ्रमण दल द्वारा प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

तत्क्रम में आपसे अपेक्षा है कि उक्त भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये 15 कार्यदिवसों के भीतर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करे।
संलग्नक— भ्रमण आख्या रिपोर्ट।

भवदीय

Dipendra
(डिपेन्द्रा उपाध्याय)

मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022-23/9472-2 150

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मैनपुरी एवं आगरा, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आगरा मण्डल, आगरा, उत्तरप्रदेश।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मैनपुरी एवं आगरा, उत्तर प्रदेश।

J.
(डा० अबु तलहा)
उपमहाप्रबन्धक,
डी०एच०एस०

जनपद— आगरा
भ्रमण अवधि— दिनांक 23.02.2023 से 25.02.2023

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्रो के पत्र संख्या—SPMU/NHM/M&E/2022-23/2566-2-Dated-19-07-2022 के कम में दिनांक— 20.02.2023 से 22.02.2023 तक जनपद आगरा की चिकित्सा इकाईयों—जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एत्मादपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बरहन, हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, संवाई एवं यू0एच0एन0डी0 सेवटर-4 ए का भ्रमण किया गया।

भ्रमण आख्या निम्नवत है—

राज्य स्तरीय भ्रमण दल के सदस्य —

1. श्री मो0 काशिफ, स्टेट मैनेजर, एफ0पी0एल0एम0आई0एस0, परिवार नियोजन
2. श्री विजय कुमार जलपोटा, मण्डलीय लेखा प्रबन्धक, सिप्सा / एन0एच0एम0, लखनऊ मण्डल।

मण्डल / जनपद स्तरीय भ्रमण दल के सदस्य —

1. मण्डलीय लेखा प्रबन्धक, आगरा मण्डल।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, आगरा।
3. जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, आगरा।
4. जिला क्वालिटी कन्सलटेन्ट, आगरा।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयों

1. जिला महिला चिकित्सालय।
2. जनपदीय ड्रगवेयर हाउस।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एत्मादपुर।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बरहन।
5. हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, संवाई

जिला महिला चिकित्सालय, आगरा —

- 100 शैया एम0सी0एच0 विंग एवं जिला महिला चिकित्सालय एक ही इकाई के रूप में कियाशील है। ओ0पी0डी0 जिला महिला चिकित्सालय बिल्डिंग में तथा बाकी सर्विसेस एम0सी0एच0 विंग में दी रही है।
- अस्पताल में काउन्सलिंग एवं आई0यू0सी0डी0 इन्र्सेशन रजिस्टर अनुउपलब्ध है।
- अस्पताल में सी0सी0एच0एन0 एवं एस0बी0ए0 की टैनिंग दी जा रही है।
- अस्पताल में 800—1000 मासिक प्रसव लोड है, जिसके सापेक्ष में दी जा रही परिवार नियोजन सेवाएं अत्यन्त कम हैं।
- अस्पताल में साफ—सफाई का अभाव है।
- परिवार नियोजन काउन्सलर को टीकाकरण कक्ष में बैठाया गया है। जिससे टीकाकरण के कारण लाभार्थियों की क्वालिटी काउन्सलिंग नहीं हो पा रही है।
- परिवार नियोजन काउन्सलर्स चिकित्सालय परिसर में आने वाले अधिक से अधिक लक्ष्य दम्पत्तियों की काउन्सलिंग कर परिवार नियोजन की सेवायें प्रदान कराते हुए नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करें, जिससे ड्रापआउट को कम किया जा सके।
- अर्श काउन्सलर ने साथिया क्लीनिक को अच्छे से मेनटेन किया हुआ है। तथा किशोर व किशोरियों की परिवार नियोजन सम्बंधी काउन्सलिंग भी की जा रही है।
- नसबन्दी केसेज के रिकार्ड समुचित नहीं भरे जा रहे हैं तथा लाभार्थियों को फॉलोअप कार्ड व प्रमाणपत्र का वितरण नहीं किया जा रहा है।
- पी0पी0आई0यू0सी0डी0 के सेवाप्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान पिछले दो वर्षों से नहीं किया गया है।
- पी0पी0आई0यू0सी0डी0 व अन्तरा रजिस्टर में लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड जैसे, खाता संख्या, मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित आशा के मोबाइल नम्बर आदि नहीं भरे जा रहे हैं।
- अन्तरा के द्वितीय व बाद के डोज लगवाने हेतु नजदीकी स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर जाने हेतु लाभार्थियों को सलाह देने का सुझाव दिया गया।

- परिसर में र्सिफ एक गत्ते का कन्डोम बॉक्स लगाया गया है, जोकि मानक अनुसार नहीं है। मानक अनुसार कण्डोम बॉक्स बनवाकर चिकित्सा इकाई में प्रत्येक तल पर लगाया जाये।
- परिवार नियोजन सामग्रियों का मैनेजमेन्ट चिकित्सालय के फार्मासिस्ट द्वारा नहीं किया जा रहा है। जनपदीय वेयर हाउस से काउन्सलर एवं ए०एन०एम० द्वारा सामग्री प्राप्त की जा रही जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।
- परिवार नियोजन से सम्बन्धित आई०ई०सी० लगी हुई पायी गयी। परन्तु अपडेटेड व समुचित नहीं था।
- मेडिकल आफिसर व स्टाफ नर्स सभी PPIUCD में प्रशिक्षित हैं। परिवार नियोजन से सम्बन्धित डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है जिसे ठीक करने का तथा HMIS में फीड करने का सुझाव दिया गया। पी०पी०आई०यू०सी०डी० के लाभार्थियों का फालोअप भी कम है। सम्बन्धित स्टाफ को पी०पी०आई०यू०सी०डी० के शत प्रतिशत लाभार्थियों का फालोअप करने का सुझाव दिया गया।

वित्तीय अभिलेख –

वित्तीय अभिलेखों का रख रखाव श्री राजेश कुमार सिंह (यू०डी०सी०) एवं श्री पवन कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। वित्तीय अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं—

- वित्तीय वर्ष 2022–23 की कैशबुक बनी है।
- पी०एफ०एम०एस० रजिस्टर बना है।
- जे०एस०एस०के० कार्यक्रम के अन्तर्गत जे०एस०वाई० लाभार्थियों को निःशुल्क भोजन सुविधा मैसर्स श्रीमती लक्ष्मी देवी जन कल्याण समिति, कन्नौज द्वारा प्रदान की जा रही है।
- अस्पताल में उपलब्ध डाइट रजिस्टर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि लाभार्थी के अस्पताल से छुट्टी किये जाने का समय अंकित नहीं किया जा रहा है तथा लाभार्थी आई०डी० नम्बर अंकित नहीं किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका से वार्ता कर डाइट रजिस्टर में समय को अंकित कराने एवं आई०डी० नम्बर लिखे जाने हेतु कहा गया।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 माह मार्च 2022 का बैंक समाधान विवरण बना हुआ है परन्तु वित्तीय वर्ष 2022–23 का बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है।
- रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण 15.12.2026 तक वैध है।
- जे०एस०वाई० कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 कमिटेड लाभार्थी 9027 के सापेक्ष 7500 लाभार्थी का भुगतान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 3911 लाभार्थी के सापेक्ष 485 का भुगतान अभी तक किया गया है। लगभग कुल 4096 लाभार्थियों का भुगतान कमिटेड व वर्तमान वर्ष मिलाकर लम्बित है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से वार्ता कर लम्बिल भुगतान को शीघ्र कराये जाने हेतु कहा गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एत्मादपुर –

- सामु०स्वा०केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अधीक्षक से वार्ता कर दिशा निर्देश के अनुसार प्रायवेट अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर से अनुबन्ध कर लाभार्थियों को सुविधा प्रदान करने हेतु कहा गया।
- सामु०स्वा०केन्द्र के एन०बी०एस०यू० से जनपदीय एन०आर०सी० सेन्टर पर विगत चार माह में लगभग 6 शिशुओं को रेफर किया गया है, जबकि स्वास्थ्य इकाई पर बाल रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता है, चिकित्सा इकाई पर ही शिशुओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने एवं उचित कार्यवाही हेतु कहा गया।
- सामु०स्वा०केन्द्र के एन०बी०एस०यू० में कार्यरत स्टॉफ नर्स के०एम०सी० विधा में प्रशिक्षित नहीं है। जिसका प्रशिक्षण कराने हेतु अधीक्षक से कहा गया।
- सामु०स्वा०केन्द्र पर अन्तरा इंजेक्शन रजिस्टर, आई०यू०सी०डी० फालोअप रजिस्टर, आई०यू०सी०डी० कार्ड की अनुपलब्धता पायी गयी। जिस हेतु सम्बन्धित को आई०यू०सी०डी० रजिस्टर एवं पी०पी०आई०यू०सी०डी० कार्ड उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।

- लेबर रूम में Syrup-Nivirapine, Tablets- Nifedipine, Alpha methyldopa, Ing- Magnesium sulphate उपलब्ध नहीं पायी गयी। जिस हेतु सम्बन्धित को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।
- सामु0स्वाठकेन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त मेडीकल आफिसर द्वारा एबोर्शन किये जा रहे हैं लेकिन एबोर्शन के बाद पी0ए0आई0यू0सी0डी0 एवं पी0ए0 स्टरलाईजेशन की सुविधा नहीं दी जा रही है। जिस हेतु अधीक्षक से चिकित्सा इकाई पर पी0ए0आई0यू0सी0डी0 एवं पी0ए0 स्टरलाईजेशन की सुविधा लाभार्थियों को प्रदान करने हेतु कहा गया।
- सामु0स्वाठकेन्द्र के स्टोर का अधीक्षक के साथ भ्रमण किया गया। स्टोर में सभी परिवार नियोजन सामग्रियों में एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध स्टाक एवं मैनुअल रजिस्टर अनुसार उपलब्ध स्टाक में भिन्नता पायी गयी। स्टाक रजिस्टर पिछले तीन से ४: माह से अपडेट नहीं किया गया है। जिस हेतु फार्मासिस्ट को स्टोर रूम को FEFO विधि एवं स्टाक रजिस्टर करने के साथ साथ पोर्टल पर उपलब्ध स्टाक के मिलान हेतु जल्द से जल्द कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।
- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इकाई पर उपलब्ध नसबन्दी केस शीट में स्टॉफ नर्स, सर्जन, अधीक्षक के हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
- सामु0स्वाठकेन्द्र पर गत्ते का बना हुआ सिर्फ एक ही कण्डोम बॉक्स लगा पाया गया, दिशा निर्देशानुसार कण्डोम बॉक्स बनवाकर अस्पताल में लगाने हेतु सम्बन्धित को कहा गया ताकि जन-मानस को परिवार नियोजन कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- ए0एन0सी0 हेतु निर्धारित रूम में आवश्यक आक्यूपमेंट टेबिल अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

वित्तीय अभिलेख –

वित्तीय अभिलेखों का रख रखाव श्री सूरज, ब्लाक लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0 द्वारा किया जाता है। वित्तीय अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं—

- वित्तीय वर्ष 2022–23 कैशबुक नहीं बनाई गयी है।
- पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर बना है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में जो भी आयकर कटौती की गयी है, उसको ससमय जमा नहीं कराया जा रहा है। तथा देय बिलों के भुगतान पर जीएसटी की कटौती नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में अधीक्षक से वार्ता कर आयकर कटौती एवं जीएसटी कटौती को नियमानुसार करते हुए ससमय जमा कराने हेतु कहा गया।
- रोगी कल्याण समिति का नवीनीकरण अप्रैल 2027 तक नवीनीकरण करा लिया गया है। अधीक्षक से रोगी कल्याण समिति की जा रही बैठकों के सम्बन्ध में वार्ता की गयी तथा यह कहा गया कि सभी भुगतान समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही किये जाय।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहन—

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रवेश द्वारा क्षतिग्रस्त पाया गया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की साफ–सफाई का अभाव है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में किसी भी चिकित्सक की तैनाती नहीं है। ओ0पी0डी0 सम्बन्धित कार्य फार्मासिस्ट द्वारा किये जा रहे हैं।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो एल0टी0 तैनात हैं लेकिन इकाई पर आवश्यक जॉचे, उपकरणों एवं किटों की अनुपब्लधता के कारण आवश्यक जॉचें नहीं की जा रही है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा 56697 जनसंख्या कवर की जा रही है। जिस हेतु स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो स्टाफ नर्स की तैनाती है जिनके द्वारा प्रतिमाह में 35-40 डिलेवरी कराई जा रहीं हैं लेकिन इकाई पर लाभार्थी के भर्ती, ईमरजेन्सी एवं अन्य कोई भी सुविधा नहीं है जिस कारण इकाई पर डिलेवरी उपरान्त कोई भी लाभार्थी ठहर नहीं पा रहा है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बायो मेडीकल वेस्ट को खुले गड्डे में डाला जा रहा है।
- स्वास्थ्य ईकाई पर शिकायत पेटिका, कण्डोत्तम बॉक्स, लैव टेस्ट की सूची, सीटीजन चार्टर नहीं लगा है।
- स्वास्थ्य ईकाई परिसर में अत्याधिक गन्दगी पायी गई है, साफ-सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है।
- स्वास्थ्य ईकाई की बाउन्ड्री टूटी हुई है जिस कारण परिसर में आवारा जानवर का घुम रहें थे।
- लेवर रूम में लेवर टेबल एवं रेडियेन्ट वार्मर पर जंग लगा हुआ है। लेवर टेबल ईटों पर रखी हुई है। लेवर टेबल पर सीट एवं केलिसपेड नहीं पाये गये।
- लेवर रूम में कोई भी प्रोटोकॉल आई0 सी0 उपलब्ध नहीं है तथा 7 ट्रे मेन्टेन नहीं की जा रही है।
- लेवर रूम में टायलेट क्रियाशील नहीं है तथा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं पायी गई।
- ईकाई के स्टॉफ ड्रस कोड का पालन नहीं किया जा रहा है।
- ईकाई का वार्ड धूल से भरा हुआ था दरवाजों पर दीमक लगी हुई थी।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सवाई –

- ईकाई पर साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।
- ईकाई पर लाईट एवं पावर बेकअप की सुविधा नहीं है।
- ईकाई पर किसी भी प्रकार की कोई भी आई0सी0 नहीं लगी हुई थी।
- ईकाई पर एक्सामिनेशन टेबिल, अलमीरा, कुर्सी का अभाव था।
- ईकाई पर टायलेट क्रियाशील नहीं है तथा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं पायी गई।
- सी0एच0ओ0 के पास लेपटॉप, टेबलेट उपलब्ध नहीं है जिस कारण किसी भी एप पर रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है।
- ईकाई पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्राथमिक/आवयशक जॉच की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- ईकाई पर मेडीसन रजिस्टर अपूर्ण भरा पाया गया।

जिला स्वास्थ्य समिति, आगरा –

- सी0एच0सी0 एत्मादपुर में जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को निःशुल्क भोजन सुविधा मैसर्स श्रीमती लक्ष्मी देवी जन कल्याण समिति, कन्नौज द्वारा प्रदान की जा रही है। पूछने पर स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म का चयन जिला मुख्यालय द्वारा टेण्डर के माध्यम से किया गया है, टेण्डर की अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गयी थी जिसको मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के पत्र क्रमांक संख्या 2056 दिनांक 04 मार्च 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त फर्म से जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को निःशुल्क भोजन सुविधा अग्रिम निविदा होने तक प्रदान की जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से वार्ता कर नई फर्म के चयन/नवीनीकरण प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा गया।
- एम0 एण्ड ई0 एवं आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुश्रवण हेतु अनुबन्धित वाहनों का अनुबन्ध मैसर्स बी0पी0 ट्रेडर्स, लालगढ़ी, जनपद एटा के साथ किया गया है, जिसकी अनुबन्ध अवधि 14.05.2022 को समाप्त हो गयी थी जिसको मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के पत्र क्रमांक संख्या 2942 दिनांक 28 मार्च 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त फर्म से अनुबन्धित वाहन सुविधा अग्रिम निविदा होने तक प्रदान की जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से वार्ता कर नई फर्म के चयन/नवीनीकरण प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा गया।

- मानव संसाधन को प्रतिमाह देय वेतन से की गयी ₹०पी०एफ० की कटौती को अप्रैल 2022 से आज तक ₹०पी०एफ० एकाउन्ट में जमा नहीं कराया गया है। जिस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से प्रतिमाह की जानी ₹०पी०एफ० कटौती को नियमानुसार ससमय जमा कराने हेतु कहा गया।
- ब्लाक स्टर से किये जा रहे बिलों के भुगतान पर जी०एस०टी० कटौती नहीं की जा रही हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से वार्ता कर नियमानुसार कटौती कर ससमय जमा कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु कहा गया।
- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से वार्ता कर सभी अपडेट लेखा पुस्तकों जैसे— बैंकबुक, स्टॉक रजिस्टर, पी०एफ०एम०एस० रजिस्टर इत्यादि की उपलब्धता प्रत्येक इकाई पर सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु कहा गया।
- मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, लखनऊ के पत्र संख्या 7920 दिनांक 23 जनवरी 2023 (अनुस्मारक-३) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 12ए में डी०एच०एस० का पंजीकरण किया जाना है परन्तु डी०एच०एस० आगरा का आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण अभी तक नहीं किया गया है। जिसे शीघ्र कराने हेतु कहा गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिम०चिज०) के साथ की गयी बैठक के मुख्य बिन्दु –

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय –

- वित्तीय अभिलेखों में पाई गई कमियों में यथाशीघ्र दूर किया जाए।
- पी०पी०आई०य००सी०डी० के सेवाप्रदाताओं की प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने हेतु यथा शीघ्र कार्यवाही की जाये।
- अस्पताल में काउन्सलिंग एवं आई०य००सी०डी० इन्सेशन अनुपलब्ध रजिस्टर को सी०एम०ओ० कार्यालय से सम्पर्क कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जाए।
- परिवार नियोजन काउन्सलर को अस्पताल में एक सेपरेट रूम उपलब्ध कराया जाए ताकि अस्पताल में आने वाले लाभार्थियों को क्वालिटी काउन्सलिंग उपलब्ध कराया जाए।
- पी०पी०आई०य००सी०डी० व अन्तरा रजिस्टर में लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड एवं नसबन्दी केस शीट में सम्पूर्ण जानकारी भरे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाए।
- परिवार नियोजन सामग्रियों का चिकित्सालय के फार्मासिस्ट द्वारा जनपदीय ड्रग वेयर हाउस से प्राप्त कर एफ०पी०एल०एम०आई०एस० पोर्टल अनुसार चिकित्सालय में मैनेजमेन्ट किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्साधिकारी –

- परिवार नियोजन से सम्बन्धित समस्त सामग्री एवं प्रिन्टेड रजिस्टर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- जनपदीय ड्रगवेयर हाउस में स्टाक में पायी गयी भिन्नता को सही कराकर स्टोर रूम को FEFO विधि द्वारा व्यवस्थित करने हेतु फार्मासिस्ट को निर्देशित किया जायें।
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा जे०एस०एस०के० कार्यक्रम के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जायें।
- डाइट रजिस्टर पर लाभार्थी से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी जैसे लाभार्थी का नाम, प्रसव की तिथि एवं समय, अस्पताल से छुट्टी की तिथि एवं समय, लाभार्थी को दी गई डाइट की संख्या इत्यादि पूर्णरूप से भरी जायें।
- ई०पी०एफ० कटौती की धनराशि को नियमानुसार प्रतिमाह ससमय जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- देय बिलों के भुगतान पर नियमानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० कटौती किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

- प्रतिमाह की गई आयकर एवं जी०एस०टी० कटोती कों नियमानुसार ससमय जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- आयकर अधिनियम की धारा १२ए के अन्तर्गत डी०एच०एस० का पंजीकरण शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- फैम एवं पी०एफ०एम०एस० दोनो पोर्टल पर बुक किये गये व्ययो के अन्तर का मिलान समय पर अनिवार्य रूप से किया जायें।
उपरोक्तानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा उपरोक्त सभी गैप्स को शीघ्र दूर करने हेतु आश्वासन दिया गया।


(मो० काशिफ)
मण्डलीय लेखा प्रबन्धक
सिफ्सा / एन०एच०एम०,
लखनऊ मण्डल।


(मो० काशिफ)
स्टेट मैनेजर
एफ०पी०एल०एम०आई०एस०
लखनऊ।